

## मतदाता: मतदान और इसके सरोकार

संदर्भ-

हाल ही में एक जनहित याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गई कि आधार आधारित चुनाव प्रक्रिया लागू करने का दिशा-निर्देश जारी करें ताकि चुनाव में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो और बोगस वोटिंग पर रोक लगाई जा सके।

- याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक तर्क संगत आदेश जारी किया- कोर्ट ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के विषय पर चुनाव आयोग निर्णय करेगा, अगर याचिकाकर्ता तब भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर कोर्ट का रुख करने के लिए उसके पास विकल्प खुले हैं।

- बोगस वोट डालने के लिए मतदाता इलेक्टोरल इंक मिटाते हैं, जिसके लिए इंकर रिमूवर, हाइड्रो आक्साइड का उपयोग किया जाता है। इन केमिकल के उपयोग से स्किन डर्मेटाइटिस हो सकती है।

- इलेक्टोरल इंक मार्क 76-96 घंटे तक रहता है, फिंगर नेल्स और क्यूटीकल से इंक मिटने में दो से चार सप्ताह का समय लगता है।

- नेल्स डिसऑर्डर वालों को नार्मल लोगों की तुलना में उंगली पर ज्यादा दिनों तक इंक का निशान रह सकता है।

**मतदाता-** लोकतांत्रिक प्रणाली में नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार वोट देने का अधिकार है। इस अधिकार के बाद नागरिक मतदाता कहलाते हैं। मतदाता के पास सरकार चुनने की शक्ति होती है। संविधान में अनुच्छेद-326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है।

- 25 जनवरी 1950 को चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 2011 में भारत सरकार ने चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया।

**मतदान (Voting)** यह निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है जिसके द्वारा कोई समूह विचार-विमर्श तथा बहस के बाद कोई निर्णय ले पाता है। मतदान की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग या समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने या किसी अधिकारी के निर्वाचन में अपनी इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट करता है। इस दृष्टि से यह व्यवस्था सभी चुनावों तथा सभी संसदीय या प्रत्यक्ष विधिनिर्माण में प्रयुक्त होती है।

**भारत में मतदान के रूप-** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव तथाराज्य विधानसभाओं के चुनाव में आंशिक रूप से 1999 में शुरू हुआ तथा 2004 से इसका पूर्ण इस्तेमाल हो रहा है। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई, 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर हुआ था।

- 1983 के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को वैधानिक रूप नहीं प्रदान किया गया था।

- दिसम्बर, 1988 में संसद ने इस कानून में संशोधन किया तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नई धारा-61ए जोड़ी गई जो आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। संशोधित प्रावधान 15 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। इसके पश्चात नवम्बर, 1998 के बाद से आम चुनाव/उप-चुनावों में प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10.75 लाख ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ही ई-लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तब से सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा

रहा है।

**नोटा का अर्थ है-** (None of the Above)-

मतदाताओं को अपनी असहमती व्यक्त करने के उद्देश्य से भारत में नोटा 2015 से प्रयोग में लाया जा रहा है। नोटा से संदर्भ मतदान से तटस्थता नहीं बल्कि सभी विकल्पों को नकारने का एक विकल्प है।

**बोगस वोटिंग-**

बोगस वोटिंग का अर्थ फर्जी मतदान होता है, वोटर आईडी के अलावा भी किसी अन्य पहचान पत्र के द्वारा जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस या आधिकारिक पत्र- दिखाकर मत डाला जाता है। इस कारण से बोगस वोटिंग की संभावना बढ़ सकती है।

**बोगस वोटिंग रोकने के लिए उपाय**

फर्जी मतदान पर शत-प्रतिशत काबू पाने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट देने से पहले मतदाताओं का अंगूठे का निशान लिया जायेगा और इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन लगायी जायेगी।

**प्रॉक्सी वोटिंग** - मजबूत लोकतंत्र में सभी पात्र मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तथा मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रॉक्सी मतदान की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत सभी सेवा अर्हता/सैनिक मतदाता जिनका नाम सूची के अंतिम भाग में दर्ज है। वह अपने नाम की पुष्टि समय रहते कर सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन नियम 1961, की धारा-18 के अंतर्गत मत डाकमत-पत्र द्वारा देने का अधिकार दिया गया है। इसे प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं।

नियम 27 (एन) के अंतर्गत प्रॉक्सी के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा समस्त सेवा नियोजित मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करें तथा इच्छानुसार अपना विकल्प प्रॉक्सी/प्रतिनिधि नियुक्त कर लें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन कर 2017 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रॉक्सी मतदान की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उन्हें प्रॉक्सी के विकल्प के इस्तेमाल की भी इजाजत दी गयी। यह विकल्प अभी तक सैन्य कर्मियों को ही उपलब्ध था। इससे वे बाहर रहकर भी अपना वोट डाल सकते हैं।

**इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-मतदान)**

एक ऐसा शब्द है जिसमें मतदान और मतगणना के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक साधन, दोनों के समावेश सहित कई अलग प्रकार के मतदान शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रौद्योगिकी में पंच कार्ड, ऑप्टिकल स्कैन मतदान प्रणालियां और विशिष्ट मतदान कियोस्क (जिसमें स्व-निहित प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली सहित) शामिल हो सकती हैं।

इसमें टेलीफोन, निजी कंप्यूटर नेटवर्क, या इंटरनेट के जरिए मतपत्र और मतदानों का प्रसारण शामिल हो सकता है।

एक प्रत्यक्ष-रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक (DRE) वोटिंग मशीन, वोटर द्वारा सक्रिय किए जाने वाले (सामान्यतः बटन या टच-स्क्रीन) यांत्रिकी या इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल घटकों सहित उपलब्ध कराए गए मतपत्र के जरिए वोटों की रिकॉर्डिंग करती है; यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा वोटिंग डेटा और मतपत्र छवियों को रिकॉर्ड करता है।

**प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न**

प्रॉक्सी मतदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रॉक्सी मतदान का अधिकार सैनिक मतदाता को निर्वाचन नियम 1961, (18) के अंतर्गत मत डाकपत्र पत्र द्वारा दिया गया।
2. 2017 में चुनाव संबंधी कानून में संशोधन करके विदेशी भारतीयों को प्रॉक्सी मतदान की सुविधा दी गई। यह विकल्प अब तक केवल सैन्य कर्मचारी व भारतीय एंबेसडर को ही था।
3. प्रॉक्सी मतदान द्वारा केवल डाक-पत्र के माध्यम से वोट दिया जा सकता है।  
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?
  - (a) केवल 2
  - (b) 2 और 3
  - (c) केवल 3
  - (d) उपर्युक्त सभी

**मुख्य परीक्षा प्रश्न-**

**प्रश्न-** विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष मतदान कराने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका अनुकरणीय रही है। वहीं निर्वाचन आयोग ने विश्व के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आजादी के बाद अपने गठन से 16वीं लोकसभा के सफर तक निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाए गए चुनाव प्रक्रियाओं और चुनाव सुधारों की चर्चा उपर्युक्त कथन के प्रकाश में करें।

